

वार्षिक सामान्य बैठक के लिए नोटिस
Notice for Annual General Meeting

बुधवार, 24 जून, 2015, प्रातः 10.30 बजे, वडोदरा
Wednesday, 24th June, 2015 at 10.30 a.m. At Vadodara



निवेशक सेवाएं विभाग:

बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, तृतीय तल, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
ई-मेल: investorservices@bankofbaroda.com

INVESTORS' SERVICES DEPARTMENT

Baroda Corporate Centre, 3rd Floor, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051
Email: investorservices@bankofbaroda.com

कार्यक्रमों की प्रमुख तारीखें
IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

<p>चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों के निर्धारण की विनिर्दिष्ट तारीख</p> <p>Specified date for ascertaining the Shareholders entitled to participate in the election</p>	<p>शुक्रवार, 15 मई, 2015</p> <p>Friday, 15th May, 2015</p>
<p>नामांकन फार्म जमा करने की अंतिम तारीख</p> <p>Last date of submission of nomination forms on or before</p>	<p>मंगलवार, 9 जून, 2015 (शाम 5.00 बजे तक)</p> <p>Tuesday, 9th June, 2015 (Upto 5.00 p.m.)</p>
<p>नामांकन फार्मों की जांच</p> <p>Scrutiny of Nominations</p>	<p>बुधवार, 10 जून, 2015</p> <p>Wednesday, 10th June, 2015</p>
<p>ई-वोटिंग</p> <p>E-Voting</p>	<p>रविवार, 21 जून, 2015 (सुबह 10.00 बजे) से मंगलवार, 23 जून, 2015 (शाम 5.00 बजे तक)</p> <p>Sunday, 21 June, 2015 (From 10.00 a.m.) to Tuesday, 23rd June 2015 (Upto 5.00 p.m.)</p>
<p>प्राक्सी फॉर्म और प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति से संबंधित संकल्प के प्राप्त होने की अंतिम तारीख</p> <p>Last date of receipt of Proxy Form and resolutions appointing Authorized Representative</p>	<p>शुक्रवार, 19 जून, 2015 (शाम 5.00 बजे तक)</p> <p>Friday, 19th June, 2015 (Upto 5.00 p.m.)</p>
<p>असाधारण सामान्य बैठक की तारीख एवं समय</p> <p>Date and time of Extraordinary General Meeting</p>	<p>बुधवार, 24 जून, 2015 (सुबह 10.30 बजे)</p> <p>Wednesday, 24th June, 2015 (At 10.30 a.m.)</p>

विषय
CONTENTS

पृष्ठ सं.
Page No.

नोटिस

NOTICE 2

टिप्पणियां

NOTES 3

व्याख्यात्मक विवरण

EXPLANATORY STATEMENT 10

नामांकन फार्म

NOMINATION FORM 21

घोषणा पत्र

DECLARATION 23

व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचन पत्र

PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING 27

प्रॉक्सी फार्म

FORM OF PROXY 35

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय : मांडवी, बड़ौदा 390 006

कार्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक,

बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

Bank of Baroda

Head Office : Mandvi, Baroda – 390 006

Corporate Office : Baroda Corporate Centre, C-26, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051


नोटिस

एतद् द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों का संचालन करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 19वीं वार्षिक सामान्य बैठक बुधवार, 24 जून, 2015 को सुबह 10:30 बजे सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी. - 1 एफ. पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा - 390020 में संपन्न होगी:

1. बैंक के 31 मार्च, 2015 के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन व इन्हें स्वीकार करना.
2. वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश की घोषणा करना.
3. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद जिसे “विनियमन अधिनियम” कहा गया है) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद इसका उल्लेख “योजना” के रूप में किया गया है) अधिनियम की धारा 19 के अनुसार निर्मित, के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (इसके बाद इसे “अधिनियम” कहा गया है) की धारा 9 (3) (i) और बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैंक) विनियमन, 1998 (इसका इसके बाद इसका उल्लेख “विनियमन” के रूप में किया गया है) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना (इसका उल्लेख भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना के रूप में किया गया है), सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अशासकीय निदेशकों की नियुक्त के संबंध में भारत सरकार द्वारा 25 मार्च, 2015 को जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित, सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर, 2007 और सं. डीबीओडी. बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011, के अनुसार बैंक के केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से, जिनके वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, उनमें से एक निदेशक का चुनाव करने के लिए निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

यह संकल्प पारित किया जाता है कि संबद्ध योजना के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (3)(i), उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना एवं भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निदेशक के रूप में चुने गये _____ को अपना कार्यभार संभालने के लिए चुनाव की तारीख से अगले दिन से बैंक के निदेशक के रूप में एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक अपने पद बने रहेंगे.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा



(रंजन धवन)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई

दिनांक : 11 मई, 2015

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 19th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on **Wednesday, 24th June 2015 at 10.30 a.m. at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020**, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2015, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2015, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the year 2014-15.
3. To elect ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the “Act”) read with the Banking Regulation Act, 1949 (here in after referred as “the Regulation Act”), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the “Scheme”) and the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as “the Regulations”) made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification Nos.DBODNo.BC No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 and No.DBOD.No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as “RBI Notification”) read with guidelines dated 25th March 2015 issued by Government of India for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks and AFTER ELECTION pass the following resolution:-

“RESOLVED THAT _____ elected as Director from amongst Shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made there under, RBI Notification and GOI Notification, be and is hereby appointed as the Director of the Bank to assume office from the day next to the date of election and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption”.

By order of Board of Directors
For **BANK OF BARODA**



(Ranjan Dhawan)

Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date: 11th May, 2015

नोट :**1. प्रॉक्सी की नियुक्ति :**

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकेगा/ सकेगी (बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के अलावा अन्य को) और यह आवश्यक नहीं होगा कि नियुक्त प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो. प्रॉक्सी का कोई भी विलेख तभी वैध माना जाएगा, जब वह इस नोटिस के साथ भेजे गए फार्म “बी” में भरा गया हो. उक्त प्रॉक्सी तभी प्रभावी मानी जाएगी यदि वह बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् शुक्रवार, 19 जून, 2015 को सांय 5.00 बजे तक या उससे पूर्व बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केवायसी एवं एएमएल विभाग, 8वां तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, बड़ौदा- 390 005 स्थित प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाएगी और इसके साथ मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र की प्रति जो कि नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित हो, उक्त मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र यदि पूर्व में बैंक में जमा और पंजीकृत न किया गया हो, को भी साथ में भेजा जाएगा.

2. प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक, जिसमें यह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में अभिप्रामाणित न किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् शुक्रवार, 19 जून, 2015 को बैंक का कार्य समय समाप्त होने अर्थात् सांय 5.00 बजे तक या इससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा न कर दिया गया हो.

3. मताधिकार :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार से भिन्न संबद्ध नये बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के **दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा**. तथापि, केन्द्रीय सरकार इस नोटिस की कार्यसूची मद सं. 3 अर्थात् नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट करने के लिए निदेशक के चुनाव में भाग लेने हेतु पात्र नहीं है.

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अध्यक्षीन प्रत्येक शेयरधारक उपर्युक्त में वोट देने के लिए पात्र है, जो कंपनी नहीं है, वर्तमान में एक व्यक्ति है या प्रॉक्सी द्वारा या जो कंपनी के रूप में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, या प्रॉक्सी द्वारा नामित है, उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने हेतु पात्र होगा.

विनियमन के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा. अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही बैठक में नामांकन करने, चुनाव लड़ने तथा मत देने का पात्र होगा.

NOTES:**1. APPOINTMENT OF PROXY:**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form “B” as annexed with this Notice. The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office situated at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 08th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara 390 005 not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on **Friday, 19th June 2015** together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

2. APPOINTMENT OF REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not later than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Friday, 19th June 2015.

3. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the Bank**. (However, the Central Government is not entitled to participate in the election of Director at Agenda Item No.3 of this Notice i.e. to Nominate, Contest and Vote.)

Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every Shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

4. उपस्थिति - पर्ची सह प्रवेश पत्र-सह मत-पत्रक (उपस्थिति पर्ची):

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, इस नोटिस के साथ ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड के आवश्यक विवरण सहित उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र-सह-मतपत्रक संलग्न है. शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग सुविधा से मत देने का विकल्प है. जो ई-वोटिंग सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते वे वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख को बैठक स्थल पर अपना वोट दे सकते हैं. ऐसे सभी शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों /प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची में प्रिंट किए गए विवरण को जांच लें और यदि कोई खाली स्थान हो तो उसे भरें, उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द कर दें. प्रॉक्सी /शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची - सह प्रवेश पत्र में स्पष्ट करें कि वह "प्रॉक्सी" है या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में है, जैसा मामला हो. मतपत्र पास/एंटी पास को चुनाव के समय मतपत्र प्राप्त करने के लिए सुपुर्द करना होगा.

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा पहले से ही अपना मत प्रयोग कर लिया है, बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु अपना वोट पुनः नहीं दे सकेंगे.

5. शेयरधारक - रजिस्टर का बंद होना

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर गुरुवार, 18 जून, 2015 से 24 जून, 2015 तक (दोनों दिन सहित) 19वीं वार्षिक सामान्य बैठक तथा वर्ष 2014-15 के अंतिम लाभांश, यदि कुछ हो तो, का भुगतान करने के उद्देश्य से बंद रहेगा.

6. लाभांश का भुगतान:

बैंक के निदेशक मंडल ने 11 मई, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक रु. 2/- के पूर्ण प्रदत्त शेयर के लिए रु. 3.20 (तीन रुपये बीस पैसे मात्र) की दर से लाभांश संस्तुत किया है. निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत तथा 19वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा.

क) 17 जून, 2015 को कारोबार समय की समाप्ति पर नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभार्थी शेयरधारकों को.

ख) 17 जून, 2015 को कारोबार समय की समाप्ति को या इससे पूर्व बैंक/ बैंक की रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर प्रा. लि. हैदराबाद (आरटीए) के पास दर्ज शेयर हस्तांतरण अनुरोध के संबंध में वैध हस्तांतरण प्रभावी करने के पश्चात् 17 जून, 2015 को भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को.

ग) 19वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिन के अन्दर पात्र शेयरधारकों को लाभांश वितरित किया जाएगा.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM ENTRY PASS CUM BALLOT PAPER PASS (THE ATTENDANCE SLIP):

For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is attached with this Notice, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using e-voting platform. Those who do not exercise e-voting facility can cast their vote at the poll to be conducted at the venue of the meeting on the date of the AGM. Such Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy / Authorized Representative of Shareholders should state on the Attendance-Slip as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The portion of Ballot Paper Pass/ Entry Passes shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

Shareholders, who have already exercised their vote through e-voting, can attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

5. Closure of Register of Shareholders:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Thursday, 18th June 2015 to 24th June 2015 (both days inclusive) for the purpose of 19th Annual General Meeting and for payment of dividend for the year 2014-15, if any.

6. Payment of Dividend:

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 11th May 2015 has recommended dividend @ Rs.3.20 (Rupees Three and Paise Twenty only) per equity share of Rs.2/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March 2015. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 19th Annual General Meeting will be paid as under:

a) To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of the close of the business hours on 17th June 2015;

b) To all the members in respect of shares held in physical form as on 17th June 2015, after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank / Bank's Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad (RTA) on or before the close of business hours on 17th June 2015.

c) The dividends will be distributed to the eligible Shareholders within 30 days from the date of the 19th Annual General Meeting.

7. पते में परिवर्तन / लाभांश अधिदेश:

- क) संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए और एनएसडीएल/सीडीएसएल पर पंजीकृत बैंक खाते के विवरण को बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी खाते में पंजीकृत बैंक विवरणों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि लेखाबंदी से पहले वे अद्यतन किये जा सकें. बैंक अथवा इसका रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के सीधे ही प्राप्त ऐसे किसी अनुरोध पर कार्यवाही नहीं करेगा जो बैंक विवरणों अथवा बैंक मंडेट से संबंधित होंगे. ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी सहभागी को ही दी जानी चाहिए.
- ख) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. हैदराबाद को दें. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अवश्य ही अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी को देनी चाहिए. बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है.
- ग) सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें.

8. फोलियो का समेकन :

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सके. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे.

9. भौतिक रूप में शेयर धारिता का अभौतिकीकरण:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपनी शेयर धारिता का अभौतिकीकरण कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें अपने उस संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क करना चाहिए जहां उनका अपना डीमेट खाता है.

10. अंतरणों के लिए प्रस्तुतीकरण :

शेयर प्रमाण-पत्र/पत्रों को अंतरण विलेख/विलेखों के साथ बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए-

7. CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:

- a) The Bank for payment of dividend will use the details of Bank Account registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant so as to get updated before the commencement of the Book closure. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.
- b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

8. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The Members holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

9. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS:

The Shareholders who are holding shares in physical mode may convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account.

10. LODGMENTS FOR TRANSFERS:

Share Certificate/s along with transfer deed/s should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at the following address.

कार्वाी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.

(यूनिट- बैंक ऑफ़ बड़ौदा)

कार्वाी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32,

गचिबोवली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक्ट,

नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद -500 008

फोन नं.. 040 67162222,

फैक्स नं. 040 23001153,

टोल फ्री 1800 345 4001

ई-मेल : einward.ris@karvy.com

11. दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हों:

शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में संशोधन के फलस्वरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु / दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश “अदत्त लाभांश खाते” में अंतरित करें.

“अदत्त लाभांश खाते” में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि ये अदावाकृत /अप्रदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2006-07 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2007-08 से आगे के अदत्त लाभांश के विवरण के लिए निवेशक बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in देख सकते हैं.

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2007-08 के बाद से (अभी तक आईईपीएफ को अंतरित नहीं हुआ है) अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा लाभांश पत्र उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट हैदराबाद से (उपरोक्त पते पर) अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर सीधे संपर्क करें :

निवेशक सेवाएं विभाग

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, तीसरी मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर

सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)

मुंबई - 400 051.

ई-मेल - investorservices@bankofbaroda.com**12. सदस्यों से अनुरोध :**

कृपया नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 की प्रतियां, जिन शेयरधारकों ने बैंक में अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है उन्हें मूर्त रूप से भारतीय डाक द्वारा और जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करवा रखी हैं उन्हें ई-मेल द्वारा सॉफ्ट कापी के रूप में, भेज दी गई हैं. वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है. वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी, अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लेकर आएंगे.

Karvy Computershare Pvt. Ltd

(Unit :- BANK OF BARODA)

Karvy Selenium Tower B, Plot No 31 & 32

Gachibowli, Financial District,

Nanakramguda, Serilingampally

Hyderabad – 500 008

Phone No. 040 6716 2222,

Fax No. 040 23001153,

Toll Free : 1800 345 4001

E- mail : einward.ris@karvy.com,**11. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY:**

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide “The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to “Unpaid Dividend Account”.

The amount transferred to the said “Unpaid Dividend Accounts” and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2006-07 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2007-08 onwards, the Shareholders may visit Bank’s website “www.bankofbaroda.co.in”

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years i.e. from FY 2007-08 onwards (not yet transferred to IEPF) are advised to approach the Bank’s Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address (para 10) or at Bank’s Investors’ Services Department at Mumbai on the following address :

Investors’ Services Department

Bank of Baroda, 3rd Floor, Baroda Corporate Centre,

C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai - 400 051.

E-mail - investorservices@bankofbaroda.com**12. REQUEST TO MEMBERS:**

Please note that copies of the Annual Report- 2014-15 in physical form have been dispatched separately using the services of Indian Post to those Shareholders who have not registered their email IDs with the Bank and in soft copy by email to those Shareholders who have registered their email ids with the Bank. The Annual Report is also hosted on the website of the Bank. The Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and hence members are requested to bring their copies of the Annual Report at the meeting.

13. ई-वोटिंग तथा वार्षिक समान्य बैठक में वोट के लिए कट-ऑफ-तारीख

यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) अधिनियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में, एजेंडा मद सं. 1 तथा 2 के संबंध में शेयरधारकों का मताधिकार बुधवार, 17 जून 2015 तक मान्य होगा। यद्यपि, लागू विनियम के अनुसार, मद सं. 3 अर्थात् निदेशक के चुनाव के मामले में, यह नीचे दर्शाई गई विनिर्दिष्ट तारीख अर्थात् शुक्रवार, 15 मई 2015 तक मान्य होगी।

14. निदेशक का चुनाव - विनिर्दिष्ट तारीख

नोटिस में उल्लिखित अनुसार बैंक के केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से, एक निदेशक के चुनाव के लिए चुनाव में भाग लेने अर्थात् नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन से **शुक्रवार, 15 मई 2015** को विनिर्दिष्ट तारीख निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

15. ई-वोटिंग

स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीयन करार के संशोधित खंड 35बी के अनुसरण में, आपके बैंक को अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिससे कि वे नोटिस में उल्लेखित मर्दानों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट दे सके, जिसके लिए ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर्स प्रा. लि. को ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने मै. एस.एन. अनंतसुब्रह्मण्यन एंड कं., प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया का उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। **ई-वोटिंग वैकल्पिक** है। इस **कट-ऑफ-डेट** (एजेंडा मद सं. 1 एवं 2) तथा **विनिर्दिष्ट तारीख** (एजेंडा मद सं. 3) को मूर्त या अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे।

ई-वोटिंग से संबंधित अनुदेश निम्नानुसार है :-

क. वोटिंग के लिए पोर्टल **रविवार 21 जून, 2015 को सुबह 10.00 बजे से मंगलवार 23 जून, 2015 को शाम 5.00 बजे तक (दोनों दिन शामिल) उपलब्ध रहेगा।**

ख. ई-वोटिंग के लिए इस यूआरएल का उपयोग करें : <https://evoting.karvy.com>

ग. लॉग-इन क्रेडेंसियल की अर्थात् नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लेखित यूजर आईडी एवं पास वर्ड को प्रविष्ट करें।

घ. उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्लिक करें।

ड. आप 'पासवर्ड बदले' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा। नये पासवर्ड में एक 'अपर केस' (A से Z), एक लॉअर केस (a से z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे। सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं. ई-मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे में कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो उसे दर्ज करने हेतु कहेगा। आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं। यह दृढतापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें।

च. आपको नये क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा।

13. CUT-OFF DATE FOR E-VOTING AND POLL AT THE AGM

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the Shareholders in respect of Agenda items No.1 and 2 shall be reckoned as on Wednesday, 17th June 2015. However, pursuant to the applicable Regulations, in case of Agenda item No.3 i.e. Election of Director, it shall be reckoned as on the Specified Date as narrated below i.e. Friday, 15th May 2015.

14. ELECTION OF DIRECTOR –SPECIFIED DATE

It has been decided to fix **Friday, 15th May 2015** as Specified Date for the purpose of determining the Shareholders entitled to participate in the Election i.e. to Nominate, Contest and Vote for the Election of ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government, as mentioned in the Notice.

15. E-VOTING

Pursuant to Clause 35B of Listing Agreement with Stock Exchanges, your Bank is pleased to provide e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice for which Bank has appointed Karvy Computershare Private Limited as the e-voting agency to provide the e-voting platform. The Bank has appointed M/s S.N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO., Practicing Companies Secretary as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. **E-voting is optional.** Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date** (agenda items No. 1 and 2) and **Specified Date** (agenda item for No.3) may cast their vote electronically.

The instructions for E-Voting are as under:

a) The Portal will remain open for voting from **10.00 A.M. ON SUNDAY, 21ST JUNE 2015 TO 5.00 P.M. ON TUESDAY, 23RD JUNE 2015 (BOTH DAYS INCLUSIVE).**

b) To use the following URL for e-voting: <https://evoting.karvy.com>

c) Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip attached with this Notice.

d) After entering the details appropriately, click on LOGIN.

e) You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

f) You need to login again with the new credentials.

- छ. सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको इवेंट, अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा का चयन करने हेतु कहेगा.

एजेंडा मद सं. 1 तथा 2 के लिए	एजेंडा मद सं. 3 के लिए
<p>(i) वोटिंग पृष्ठ पर, कट-ऑफ-डेट (17 जून, 2015) पर शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी.</p> <p>(ii) आप सहमति अथवा असहमति, जो भी हो, पर क्लिक कर सकते हैं.</p> <p>(iii) पुष्टि करने हेतु "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु "CANCEL" पर क्लिक करें. एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक संकल्प पर वोट देने तक कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है.</p>	<p>(i) जो विनिर्दिष्ट तारीख अर्थात् 15 मई, 2015 को शेयरधारक हैं, स्क्रीन पर जिनके नाम प्रदर्शित हो रहे हैं उन उम्मीदवारों में से अधिकतम एक उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट कर सकते हैं. एक से अधिक उम्मीदवार को वोट करने से आपका वोट अमान्य होगा.</p> <p>(ii) पुष्टि करने हेतु "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु "CANCEL" पर क्लिक करें. एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक चुनाव में वोट देने तक कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है</p>

- ज. ऐसे मामलों में जब कोई व्यक्ति सामान्य वार्षिक बैठक की सूचना घोषित किये जाने के बाद परन्तु कार्यसूची मद सं 1 एवं 2 पर ई-वोटिंग की कट ऑफ तारीख को उससे पहले बैंक का सदस्य बनता है. अर्थात 17 जून, 2015, तो वह कार्वाी को इमेल आई डी evoting@karvy.com पर लिखकर भेज कर आईडी और पासवर्ड के लिए अनुरोध कर सकता है तथापि कार्वाी उन नये सदस्य को यूजर आईडी और पासवर्ड भेजने का प्रयास करेगा जिनके मेल आईडी उपलब्ध है.
- झ. एक से अधिक फोलियो/डिमैट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो /डिमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया करनी होगी. तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट करने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही, भारत सरकार कार्यसूची की मदों पर वोट करने हेतु पात्र नहीं है.
- ञ. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के अधिप्रमाणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड /संकल्प के

- g) On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., **Bank of Baroda**.

For Agenda Items No.1 and 2	For Agenda Items No.3
<p>(i) On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the Cut-off Date (17th June 2015) will appear.</p> <p>(ii) You may click on the assent or dissent as the case may be.</p> <p>(iii) Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.</p>	<p>(i) Those holding shares as on the Specified Date i.e. 15th May 2015, can cast their vote in favour of maximum ONE candidate, out of the contesting candidates whose names will appear on the screen. Casting vote exceeding ONE candidate shall render your vote as invalid.</p> <p>(ii) Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Shareholders can login any number of times till they have voted on the Election.</p>

- h) In case a person has become a member of the Bank after dispatch of AGM Notice but on or before the cutoff date for E-voting on agenda item no. 1 & 2 i.e., 17th June 2015, he/she may write to Karvy on the email id evoting@karvy.com requesting for the User ID and Password. However, Karvy shall endeavor to send User ID and Password to those new members whose mail ids are available.
- i) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. **However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank. Further, the Government of India is not entitled to vote on the Agenda Item No. 3.**
- j) Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who

प्राधिकार-पत्र की स्कैन (पीडीएफ/जेपीजी) प्रति scrutinizer@snaco.net पर ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजनी अपेक्षित है।

- ट. एक बार आप संकल्प / चुनाव पर वोट दे देते हैं तो उसके बाद आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते।
- ठ. आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप <https://evoting.karvy.com> पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल संबंधी प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) का अवलोकन कर सकते हैं। अथवा मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. के श्री एस वी राजू (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ोदा) से 040 67161500 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।
- ड. यह दृढ़तापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें।

कृपया अद्यतन ई-वोटिंग निर्देशों के लिए ई-वोटिंग पोर्टल अर्थात <https://evoting.karvy.com> देखें अथवा ऊपर दिए गये विवरण के अनुसार ई-वोटिंग एजेंसी से संपर्क करें।

16 वार्षिक सामान्य बैठक में चुनावी प्रक्रिया

चुनाव सहित कार्यसूची की सभी 3 नो मर्गे पर वोटिंग, ई-वोटिंग तथा मतदान के माध्यम से होगी। जो ई-वोटिंग विकल्प का प्रयोग नहीं करना चाहते वे बैठक की तारीख को वार्षिक सामान्य बैठक के स्थल पर आयोजित किए जाने वाले गोपनीय कार्यसूची मद सं. 3 मतदान में अपना वोट देने के पात्र होंगे। बैठक के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में घोषणा किए जाने के बाद तुरंत बैलेट पेपर दिए जाएंगे। इस प्रयोजन से नोटिस के साथ भेजे गए अथवा पंजीकरण के समय जारी किए गए बैलेट पेपर पास को वापिस जमा करने के बाद काउंटर पर शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों को बैलेट पेपर जारी किए जाएंगे। वोटों की संख्या उनके द्वारा कट-ऑफ-तारीख अर्थात् मद संख्या 1 तथा 2 के संबंध में 17 जून 2015 और मद सं. 3 के संबंध में 15 मई 2015 को धारित शेयरों की संख्या के समान होगी।

17. ई-वोटिंग तथा मतदान का परिणाम :

ई-वोटिंग तथा मतदान के समेकित परिणाम की घोषणा बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और कार्बी की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

18. चुनाव का संवीक्षक :

मै. एस.एन. अनंतसुब्रह्मण्यन एंड कं. प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव संवीक्षक के रूप में कार्य करेगी।

चुनाव में मतदान (कार्यसूची मद सं. 3) बैंक, द्वारा नियुक्त किए गए मुख्य चुनाव अधिकारी के पर्यवेक्षण में आयोजित किया जाएगा और उसकी निगरानी केन्द्रीय सरकार के नामित द्वारा की जाएगी, जो पर्यवेक्षक तथा द्वितीय संवीक्षक के रूप में कार्य करेगा।

are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail : scrutinizer@snaco.net

- k) Once you have cast your vote on the resolutions/ election you will not be allowed to modify it subsequently.
- l) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com>. or contact Mr. S.V. Raju (Unit : Bank of Baroda) of Karvy Computershare Pvt. Ltd at phone no. 040 6716 1500 or at 1800 345 4001 (toll free).
- m) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential

FOR UPDATED E-VOTING INSTRUCTION, PLEASE VISIT e-voting portal i.e. <https://evoting.karvy.com> OR CONTACT E-VOTING AGENCY AT THE CONTACT DETAILS GIVEN ABOVE.

16. POLL PROCESS AT THE AGM

The voting on all the 3 Agenda Items including Election shall be done by e-voting as well as by Poll through secret Ballot for Agenda Item No.3. Those who do not exercise the option of e-voting shall be entitled to participate and vote at the Poll to be conducted at the venue of the AGM on the date of the meeting. Ballot Papers will be issued immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting. Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the Shareholders / Proxy holders/ Authorized Representatives on surrender of Ballot Paper Pass dispatched along with the Notice or issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-Off Date i.e., 17th June 2015 in respect of items No. 1 and 2 and Specified Date i.e., 15th May 2015 in respect of item No. 3.

17. RESULTS OF EVOTING AND POLL

The consolidated results of e-Voting and Poll will be announced at the end of the Meeting and also hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and Karvy.

18. SCRUTINIZERS AT POLL

M/s. S N Ananthasubramanian & Co. Practicing Company Secretaries shall act as Scrutinizer.

The Poll on the Election (Agenda Item No. 3) shall be conducted under the supervision of Chief Returning Officer appointed by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee, who will act as an Observer and Second Scrutinizer.

व्याख्यात्मक विवरण :

बैंक के एक शेयरधारक निदेशक का चयन

अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अनुसार आपके बैंक ने केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से तीन निदेशकों यथा श्री मौलिन अरविंद वैष्णव, श्री सुरेन्द्र सिंह भंडारी और श्री राजीव शेखर साहू को चुना जिन्होंने 24 दिसंबर 2011 को पद भार संभाला और इनका कार्यकाल 23 दिसंबर 2014 को समाप्त हुआ.

उपर्युक्त रिक्तियों को भरने के लिए, आपके बैंक ने दिनांक 3 नवंबर 2014 को एक नोटिस जारी किया था. तथा उसकी प्रक्रिया की थी. हालांकि, आवश्यक कार्यवाई पूरी करने तथा उम्मीदवारों, जिन्होंने आपना नामांकन भरा था, की "उपयुक्त एवं समुचित स्थिति" सुनिश्चित करने के बाद इस चुनाव प्रक्रिया से दो रिक्तियां ही भरी जा सकी थीं और एक रिक्ति खाली रह गई थी.

अतः शेयरधारक (केंद्रीय सरकार को छोड़कर) विभिन्न तथा संबद्ध अधिनियम/योजना/विनियम, अधिसूचना केंद्र सरकार के/दिशानिर्देशों के अधोलिखित संक्षिप्त विवरणों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने के लिए पात्र हैं. एक निदेशक का चुनाव या तो बैंक को शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत नामांकन की जांच और बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उन्हें उपयुक्त पाए जाने के बाद अथवा तत्पश्चात् वार्षिक सामान्य बैठक में चुनाव के बाद होगा. चुने गए निदेशक चुनाव की तारीख के बाद से अगली तारीख या 25 जून 2015, जैसा भी मामला हो, से अपना पदभार संभालेंगे तथा पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक के लिए पद पर बने रहेंगे.

क. विधिक प्रावधान

इस विषय से संबंधित विभिन्न अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना के प्रावधान नीचे तालिका में दिए गए हैं :-

अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन-ई) धारा 16 (1) धारा 20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ महत्वपूर्ण लाभ ➤ उभयनिष्ठ निदेशकों का निषेध ➤ बैंक के किसी भी निदेशक की ओर से ऋण या अग्रिम की स्वीकृति पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9 (3)(i) धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) धारा 9 (3एए) व धारा 9 (3एबी)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वोट देने के अधिकार पर प्रतिबंध ➤ शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या ➤ कतिपय विषयों में विशेष ज्ञान ➤ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि उसे भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठ के मानदंड पर या अन्य निर्धारित किसी मानदंड पर उपयुक्त नहीं पाया जाता.

EXPLANATORY STATEMENT

Election of One Shareholder Director of the Bank

In terms of Section (9) (3) (i) of the Act, your Bank had elected three Directors viz. Shri Maulin Arvind Vaishnav, Shri Surendra Singh Bhandari and Shri Rajib Sekhar Sahoo, from amongst the Shareholders other than Central Government, who assumed charge on 24th December 2011 and their term ended on 23rd December 2014.

With a view to fill in the vacancies as aforesaid, your Bank issued Notice dated 03rd November 2014 and initiated the process. However, after completing the due diligence and ascertaining "Fit and Proper Status" of the candidates, who filed their nomination, as an outcome of the election process, TWO vacancies could be filled-in and there exists ONE vacancy.

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme /Regulations / Notification /Guidelines from the Central Government, the short particulars of which are given hereunder. One director will be elected either after the scrutiny of the nominations which the Shareholders submit to the Bank and determination of their Fit & Proper Status by the Nomination Committee of the Board or subsequent election at the Annual General Meeting. A Director so elected shall be deemed to have assumed office from the date next of the deemed date of election or 25th June 2015, as the case may be and will hold office for a period of three years from the date of such assumption.

A. LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME REGULATIONS NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Substantial Interest ➤ Prohibition of Common Directors ➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its Directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Restriction on voting rights ➤ No. of Directors to be elected by the Shareholders ➤ Special knowledge in certain fields ➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.

	धारा 9 (3बी) धारा 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ऐसे चुने गए निदेशक को, जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3ए) व 9(3एए) की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें हटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार ➤ निष्ठा एवं गोपनीयता बरतने संबंधी कर्तव्य
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9 (4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11 बी खंड 12 (8)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल ➤ बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने की अयोग्यताओं के बारे में ➤ निदेशक कार्यालय को खाली करना ➤ निर्वाचित निदेशक के पद से हटाया जाना ➤ निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति भरा जाना ➤ निदेशकों की रुचि वाले कुछ निश्चित क्षेत्रों का निदेशकों द्वारा प्रकटीकरण
बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (2008 तक संशोधित)	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	<ul style="list-style-type: none"> ➤ संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग ➤ सामान्य बैठकों में वोट देना ➤ सामान्य बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक ➤ शेयरधारकों की सूची ➤ चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन ➤ नामांकनों की जांच ➤ चुनाव विवाद ➤ वोटिंग अधिकारों का निर्धारण ➤ विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा वोट किया जाना ➤ प्रॉक्सी
भा.रि.बैं. अधिसूचना क्रमांक डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 एवं 47/ 29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 एवं सं. डीबीओडी. बीसी. सं. 95/29.39.001/ 2010-11 दिनांक 23.05.2011	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3ए) तथा 9 (3एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए उपयुक्तता मानदंड
दिनांक 3 सितंबर 2013 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित भारत सरकार के पत्र सं. एफ. नं. 16/51/2012-बीओ आई दिनांक 28 अप्रैल 2015 के साथ पठित केन्द्रीय सरकार द्वारा अशासकीय निदेशकों की नियुक्त को संबंध में 25 मार्च 2015 को जारी किए गए दिशानिर्देश		केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में अशासकीय निदेशकों की नियुक्त के संबंध में 25 मार्च 2015 को जारी किए गए दिशानिर्देश

	Section 9(3B) Section 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Term of office of elected directors ➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➤ Vacation of office of Director ➤ Removal from office of an elected Director ➤ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Amended upto 2008)	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Exercise of rights of joint holders ➤ Voting at General Meetings ➤ Directors to be elected at General Meetings ➤ List of Shareholders ➤ Nomination of candidates for election ➤ Scrutiny of nominations ➤ Election disputes ➤ Determination of voting rights ➤ Voting by duly authorized representative ➤ Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD BC.No. 95/29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks
Guidelines issued by the Central Government for consideration as a non official director dated 25th March 2015 read with GOI letter dated 3rd September 2013.		Guidelines issued by the Central Government for consideration as a non official director in Public Sector Banks dated 25th March 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई 2014.	निदेशकों के संबंधियों को ऋण एवं अग्रिम की स्वीकृति
सूचीबद्ध करने हेतु करार का खंड 49	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना/विनियम के संबंध अंशों के साथ ही साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी. बीसी.नं. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर 2007 तथा डीबीओडी. बीसी.नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देश बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे। जिसे प्रयोक्ता द्वारा देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे सारांश इच्छुक उम्मीदवारों को, उनके द्वारा नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख अर्थात् 9 जून, 2015 को अथवा उससे पहले कंपनी सचिव, बैंक ऑफ बड़ौदा, कार्पोरेट कार्यालय के पास अनुरोध प्राप्त होने पर ई-मेल द्वारा भी भेजे जा सकते हैं।

ख. चुनाव में भागीदारी :

जैसा कि पहले ही दर्शाया गया है कि ऐसे शेयरधारक जिनके नाम विनिर्दिष्ट तारीख अर्थात् शुक्रवार, 15 मई, 2015 को एनएसडीएल/सीएसडीएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/लाभधारकों के रजिस्टर पर अंकित हैं, वे सभी (केंद्रीय सरकार को छोड़कर) निदेशकों के चुनाव के लिए उन्हें **नामित करने, चुनाव लड़ने/वोट करने** की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

तथापि केन्द्रीय सरकार निदेशक के चुनाव में भाग लेने अर्थात् इस नोटिस की कार्यसूची की मद सं. 3 के लिए पात्र नहीं है।

ग. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु अयोग्यताएं

- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा।
- यदि वह, किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोका हुआ हो या प्रशमन किया हो अथवा
- यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा
- यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा नैतिक चरित्र हीनता के अपराध के कारण दण्डित किया गया हो, अथवा
- यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित, भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के तहत लाभ का पद धारण करता है/करती है, सिवाय इसके कि वह बैंक में अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से नामित किए गए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करता है/करती है। (इसमें प्रबंध निदेशक तथा निदेशक भी शामिल है।

घ. अवधि

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की खंड 9(4) के अनुसार निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर रहेगा और पुनःचुनाव के लिए पात्र होगा।

बशर्त वह निदेशक अपने पद पर लगातार छः वर्ष से अधिक की अवधि से न रह रहा हो।

RBI Master Circular dated 1st July 2014	Granting loans and advances to relatives of Directors
Clause 49 of the Listing Agreement	Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/Regulation as well as RBI Notifications No. DBOD.No.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and GOI Guidelines will be hosted in the Bank's website www.bankofbaroda.co.in, which can be viewed/downloaded. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of Baroda at their Corporate Office at "companysecretary.bcc@bankofbaroda.com" on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. 9th June 2015.

B. PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier such of those Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified Date** i. e., on Friday, 15th May 2015 shall be entitled to participate i.e. **nominate, contest and vote** in election of Director from amongst Shareholders other than the Central Government.

However, Central Government is not entitled to participate in the election of Director i.e. Agenda Item No.3 of this Notice.

C. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK UNDER THE SCHEME:

- In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
 - if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

D. TENURE:

In terms of Clause 9 (4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years

ड. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अपेक्षित योग्यता

1. अधिनियम की धारा 9 (3ए) के अनुसार बैंक के किसी शेयरधारक और धारा 9 (3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक प्रत्याशी को :

क. निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :

- i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- ii. बैंकिंग
- iii. सहकारिता
- iv. अर्थशास्त्र
- v. वित्त
- vi. विधि
- vii. लघु उद्योग
- viii. किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो.

ख. जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

ग. किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो.

2. अधिनियम की धारा 9 (3एए) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है तथा बैंक का निदेशक बनना चाहता है. उसे "उपयुक्त एवं समुचित" हैसियतवाला होना चाहिए.

अधिनियम की धारा 9(3एबी) के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी उपधारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया है, "उपयुक्त तथा समुचित" स्थिति का निर्धारण करने वाले प्राधिकारी, उस निर्धारण की प्रणाली, उस निर्धारण के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे अन्य मामले जो उससे प्रासंगिक हो या आवश्यक समझे जाएं.

इसके अलावा निर्वाचित निदेशक द्वारा प्रसंविदा विलेख निष्पादित किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करना चाहिए.

क. भारतीय रिज़र्व बैंक की "उपयुक्त एवं समुचित" (फिट एंड प्रॉपर) मानदंड संबंधी दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा(3एए) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना बीसी क. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर, 2007 जारी की है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के निदेशक मंडल में निर्वाचित हुए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले उपयुक्त एवं समुचित मानदंडों का विशेष रूप से किया गया है.

E. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

1. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3) (i) of the Act shall

a have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-

- i. agriculture and rural economy
- ii. banking
- iii. co-operation
- iv. economics
- v. finance
- vi. law
- vii. small scale industry

viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

b. represents the interest of depositors; or

c. represents the interest of farmers, workers and artisans

2. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

A. RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES:

Reserve Bank of Baroda (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBOD BC No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated November 01,2007 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

अधिसूचना की मुख्य-मुख्य बातें

“उपयुक्त एवं समुचित” स्थिति आदि का निर्णय करने संबंधी प्राधिकार, पद्धति/प्रक्रिया, मानदंड निम्नानुसार है।

क) प्राधिकार :

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपेक्षित है कि वे एक “नामांकन समिति” का गठन करें जिसमें निदेशक मंडल से (सभी स्वतंत्र एवं गैर-कार्यपालक निदेशक) न्यूनतम तीन निदेशक शामिल हों। निदेशक मंडल द्वारा उनमें से एक निदेशक को समिति का “अध्यक्ष” नामित करना चाहिए। कोरम में अध्यक्ष को मिलाकार तीन सदस्य होने जरूरी है। यदि नामित व्यक्तियों में से कोई अनुपस्थित रहता है तो निदेशक मंडल उसके स्थान पर किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को आगामी बैठक के लिए नामित कर सकता है। नामांकन समिति का गठन करते समय बोर्ड इसकी अवधि का भी निर्धारण कर सकता है।

ख) पद्धति एवं प्रक्रिया :

नामांकन समिति को उक्त अधिनियम धारा 9 (3)(i) के तहत मौजूदा चुने हुए निदेशकों/निदेशक के रूप में चुने जानेवाले व्यक्तियों की ‘उचित एवं समुचित’ हैसियत का निर्धारण करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए बैंकों को संलग्न फॉर्मेट में (अनुबंध -1 में) मौजूदा चुने गए निदेशकों/निर्वाचन के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्ति से आवश्यक सूचना एवं घोषणा प्राप्त कर लेनी चाहिए। नामांकन समिति को चुने जाने वाले व्यक्तियों के मामले में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से पहले बैठक करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि निर्मांकित मानदंडों के आधार पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी को स्वीकार किया जाए या नहीं। समिति के विचार विमर्श को औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए और यदि मौजूदा तथा नए निदेशकों के संबंध में वोटिंग हुई हो तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई सूचना के आधार पर नामांकन समिति को प्रत्याशी की स्वीकृति या अन्यथा रूप में निर्णय करना चाहिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों के समक्ष अभिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

ग. मानदंड :

नामांकन समिति को चुने हुए मौजूदा निदेशकों/प्रस्तावित प्रत्याशी की ‘उपयुक्त एवं समुचित’ स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करना चाहिए :-

- शैक्षणिक योग्यता
- अनुभव तथा विशेषज्ञता का क्षेत्र
- ट्रैक रिकार्ड तथा निष्ठा

(उपरोक्त सूची उदाहरण स्वरूप है, व्यापक नहीं)

नामांकन समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या उपरोक्त मानदंडों में से किसी के अनुपालन से चुने हुए मौजूदा निदेशकों / प्रस्तावित प्रत्याशी को बैंक के निदेशक के रूप में अपने कार्य दायित्व का निर्वाह करने में रुकावट होगी। इसी क्रम में किसी प्राधिकारी/

Salient Features of the Notification

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the “Fit and Proper” status etc., are as under:

a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a "nomination committee" consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

b) Manner and procedure:

The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the ‘fit and proper’ status of existing elected directors/ the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act *ibid*. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format enclosed (Annexure-1), from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

c) Criteria

The nomination committee should determine the ‘fit and proper’ status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- Educational qualification
- Experience and field of expertise
- Track record and integrity

(The above list is only illustrative and not exhaustive.)

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/ proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further,

विनियामक निकाय को प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने या किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण की अदायगी में चूककर्ता या दिवालिया होने पर संबंधित उम्मीदवार को बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुचित माना जाएगा।

घ. अन्य मामले :

यह वांछनीय है कि जनहित में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि चुने हुए निदेशकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को प्रसंविदा विलेख निष्पादित किया जाए. (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक डीबीडीओ. क्र. बीसी 116/08.139.001/2001- 02 दिनांक 20 जून, 2002 के अनुसार डॉ. गांगुली समूह द्वारा सिफारिश की गयी है.)

यह भी बाध्यकारी है कि सभी निर्वाचित निदेशकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को यह साधारण घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए कि जो सूचना उन्होंने पहले प्रस्तुत की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जहां कहीं भी कोई परिवर्तन हुआ है, वहां निदेशकों द्वारा आवश्यक विवरण तुरंत प्रस्तुत कर दिए गए हैं. यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तो समिति को स्मृचित सावधानी बरतनी चाहिए तथा निदेशक की “उपयुक्त तथा स्मृचित” हैसियत का पुनरीक्षण करना चाहिए.

ख. भारत सरकार के दिनांक 25 मार्च, 2015 के दिशानिर्देश

इसके अलावा भारत सरकार के पत्र दिनांक 3 सितम्बर 2013 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, बोर्ड की नामांकित समिति शेरधारक निदेशक की “उपयुक्त तथा स्मृचित” स्थिति का निर्धारण करते समय अशासकीय निदेशकों (एनओडी) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखेगी. भारत सरकार ने 25 मार्च, 2015 को दिशानिर्देशों में संशोधन किया है तथा अपने पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2015 द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को भेजा है, जिसका सारांश निम्नलिखित है :

क) सामान्य

1. नामांकन संबद्ध अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए.
2. नामिति की उपयुक्तता सामान्य शैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकार्ड, निष्ठा आदि की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए. सत्यनिष्ठा तथा उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आपराधिक रिकार्ड, वित्तीय स्थिति, वैयक्तिक कर्जों के लिए की गई दीवानी कार्रवाई, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश की अनुमति न देना या वहां से निकाल देना, विनियामकों तथा ऐसे ही निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध तथा पिछली संदेहात्मक व्यवसाय व्यवहारों आदि को आधार बनाया जाना चाहिए.

ख) अनुभव

- 1) सामान्यतः कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कार्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग एवं आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा. उद्योग में वरिष्ठ पद पर 20 वर्ष के अनुभव, संबंधित क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञता (प्रतिष्ठित संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया हो, किसी

the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank

d) Other matters

It is desirable that it is ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr.Ganguly Group vide RBI circular DBOD. No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the ‘fit and proper’ status of the director.

B. GOI GUIDELINES DATED 25TH MARCH, 2015:

Further as advised by GOI, vide its letter dated 3rd September 2013 the Nomination Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non Official Directors (NOD), while determining “Fit and Proper Status” of the Shareholder Director also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015, the gist of which is as under:

a) General

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualification and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

b) Experience

- 1) Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, Risk Management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization,

घाटे में चल रहे संगठन को उबारकर मुनाफे में लाया हो) को वरीयता दी जाएगी।

- 2) सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, जिनका कुल अनुभव 20 वर्ष का हो और संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो. सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद. पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/ कार्यपालक निदेशकों की उस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के बोर्ड में, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं, अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा. सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक, जो अभी सेवा में हैं, को किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के बोर्ड में अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.
- 3) प्रमुख बैंकिंग प्रबंधन संस्थानों के शिक्षाविद निदेशक और प्रोफेसर जिन्हें 20 वर्ष से अधिक का अनुभव हो.
- 4) 20 वर्ष का अनुभव (ऑडिट अनुभव के अलावा) रखने वाले सनदी लेखाकारों को भी वरीयता दी जाएगी.
- 5) हालांकि मामले की मेरिट के आधार पर विशिष्ट मामलों में वित्तमंत्री के अनुमोदन से अनुभव संबंधी मानदंडों में छूट दी जा सकती है.
- 6) जहां तक संभव हो, महिलाओं तथा अजा/ अजजा के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए.

ग) शिक्षा

अशासकीय निदेशक को (एनओडी) किसी भी वर्ग में कम से कम स्नातक होना चाहिए, बिजनेस प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता वालों को वरीयता दी जाएगी.

घ) आयु

निदेशक की आयु, सर्व समिति द्वारा की गई सिफारिश की तारीख को 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

ङ) कार्य अनुभव

पेशेवर व्यक्तियों/शिक्षाविदों को विशिष्ट क्षेत्र में सामान्यतः 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

च) अयोग्यता

- i). यदि कोई निदेशक पहले से ही किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी बैंक/ वित्तीय संस्था (एफआई)/ भा.रि.बैं/ बीमा कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत हो, तो उसे किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं/ बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन पर विचार न किया जाए.
- ii) किराया खरीद, वित्त पोषण, निवेश, लीजिंग या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए व्यक्ति एम पी, एमएलए, एमएलसी तथा स्टॉक ब्रोकर को बैंकों / वित्तीय संस्थाओं/ भा.रि.बैं/ बीमा कंपनियों के निदेशक मंडल में अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा. किराया खरीद, वित्त पोषण, निवेश, लीजिंग या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए निवेशकों को अशासकीय निदेशक की नियुक्ति से अयोग्य

brought turnaround in a failing organization) would be preferred.

- 2) Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.
- 3) Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
- 4) Chartered Accountants with 20 years experience (excluding audit experience) would also be preferred.
- 5) However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.
- 6) As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

c) Education

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

d) Age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search Committee should not be more than 67 years.

e) Work Experience

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

f) Disqualifications

- i) A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/ RBI/Insurance Company.
- ii) Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/ FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointments NOD, if

नहीं ठहराया जा सकता, यदि वह इन कंपनियों में प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखता हो।

- iii) किसी भी व्यक्ति को, जो पहले बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि. बैं./ बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार किसी भी श्रेणी में दो कार्यकाल या -6- वर्ष, जो भी अधिक हो, निदेशक रूप में सेवा कर चुका है, एनओडी के रूप में पुनः नामांकित नहीं किया जा सकता।

छ) अवधि

किसी भी एनओडी को बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है, यदि वह निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि. बैं./ बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार -6- वर्षों तक लगातार या अलग-अलग समय पर एनओडी/शेयर धारक निदेशक रहा है।

झ) व्यावसायिक प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10(डी) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में लाभ के ऑफिस के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिबंध के मामले का अलग से परीक्षण किया जाएगा।

त्र) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के बोर्ड में देश के सभी छः जोन- उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य तथा उत्तर-पूर्व से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

दिशानिर्देशों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की वेबसाइट <http://financialservices.gov.in/nod> पर भी देखा जा सकता है और यह बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in पर भी होम पेज पर निवेशक संबंध लिंक में उपलब्ध हैं।

ड. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर, बैंक के प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक (एएमएल), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 8वां तल, सूरज प्लाजा - 1, सयाजीगंज, वडोदरा- 390 005 के पास सभी कार्य दिवसों में सोमवार से शुक्रवार तक शाम 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक और शनिवार को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा ताकि प्रत्याशी शेयरधारकों के रजिस्टर के किसी भाग से वांछित सूचना प्राप्त कर सकें।

यदि कोई शेयरधारक उपर्युक्त की प्रति या चयनित/अंश की कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित प्रति चाहता है तो उसे संबद्ध अंश के प्रत्येक 1000 शब्दों अथवा उसके भाग हेतु 5 रुपये की दर से राशि के भुगतान करने पर प्रदान किया जाएगा।

छ. शेयरधारकों की सूची

जैसा कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 के विनियम 64 में वर्णित और संशोधित किया गया है, शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अर्थात् सीडी या इस तरह के अन्य माध्यम में) बैंक के वडोदरा स्थित प्रधान कार्यालय में, 2 जून, 2015 से उपलब्ध होगी और वह बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पक्ष में वडोदरा में देय किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी रु. 50,000/- (केवल पचास हजार रुपए) के मांग ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से

they are not having any managerial control in such companies.

- iii) No person may be re-nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

g) Tenure

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

h) Professional Restriction

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalised Banks Scheme (Management and Miscellaneous) Provision Scheme, 1970 may be separately examined.

i) Regional Representation

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

The guidelines can also be viewed on the website of GOI, MOF, at <http://financialservices.gov.in/nod/> and also available at Bank's website i.e. "www.bankofbaroda.co.in" at Investor Relations link on home page.

F. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Head Office of the Bank with the office of the Assistant General Manager (AML), Bank of Baroda, 8th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara 390 005 on all working days (other than Sundays and Bank Holidays) i.e. Monday to Friday between 3.00 p.m to 5.00 p.m. and on Saturday between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of Rs.5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

G. LIST OF SHAREHOLDERS

As provided in Regulation 64 of the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. CD or such other media) will be available at the Head Office, Vadodara of the Bank from 2nd June 2015 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) by Demand Draft/Pay Order of Scheduled Bank in favor of "Bank of Baroda" payable at Vadodara. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to

शेयरधारकों द्वारा खरीद हेतु उपलब्ध होगी. इच्छुक अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूची खरीदने के लिए एक अनुरोध पत्र महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, छठा तल, सूरज प्लाजा - 1 सयाजीगंज, वडोदरा- 390 005 को प्रस्तुत करना होगा तथा यह वचन पत्र देना होगा कि उक्त सूची का उपयोग चुनाव में प्रचार के लिए किया जाएगा तथा उसका कोई और उपयोग नहीं किया जाएगा.

ज. निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन

निदेशक के रूप में चुनाव के लिए अभ्यर्थी का नामांकन निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा:

- क) विनियमों के विनियम 65 की शर्तों के अनुसार वह विनिर्दिष्ट तारीख शुक्रवार, 15 मई, 2015 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक हो और बैठक की तिथि तक और उसके बाद यदि चुन लिया जाता है तो उसके बाद भी उसे न्यूनतम 100 शेयरों का शेयरधारक होना चाहिए.
- ख) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशक निर्वाचित करने के लिए नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और वह कम से कम एक सौ पात्र शेयरधारकों अथवा यथाविधि उनके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते, कि नामांकन यदि किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा किया गया हो, जो एक कंपनी है और उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प पारित किया गया हो, तो संकल्प पारित करने वाली बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति, जिसे सत्यप्रति के रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो, महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, छठा तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, वडोदरा- 390 005 को भेजी जाएगी और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा.
- ग) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किए गए वैध नामांकन के साथ किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा सब रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेंस अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित नोटिस में दिए गए नामांकन एवं घोषणा के नमूने के अनुसार यह घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और निर्वाचन में खड़े होने के लिए इच्छुक है और यह कि वह अधिनियम अथवा विनियम अधिनियम अथवा उक्त योजना अथवा विनियमों या भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के तहत निदेशक के लिए अयोग्य नहीं है और साथ ही वह अपने व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) को उपयुक्त रूप में हस्ताक्षरित करते हुए और यह प्रतिज्ञा करते हुए घोषणा करेगा कि यह विवरण उसके अधिकतम ज्ञान व जानकारी में सत्य व उपयुक्त है और साथ ही यह भी शपथ पत्र देगा कि वह बाद में भी ऐसे मामलों में जो सूचना, तदनुसंग घोषणा की दृष्टि से प्रासंगिक है, उससे बैंक को पूरी तरह अवगत कराएगा.
- घ) वह नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख अर्थात् मंगलवार, 9 जून 2015 तक बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 या बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 (जैसा कि अब 'विनियम' के रूप में संदर्भित होगा) के तहत अयोग्य न हो और उसके बाद वह सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में अशासकीय निदेशकों की नियुक्त के संबंध में अप्रैल, 2015 में भारत

“General Manager” (Operations & Services), Bank of Baroda, 6th Floor Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara 390 005 with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

H. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

The nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

- a) In terms of Regulation 65 of the Regulations, he / she is a Shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday 15th May 2015 being the Specified Date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- b) The nomination is in writing signed by at least one hundred Shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by Shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the General Manager (Operations & Services), Bank of Baroda, 6th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara – 390 005 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- c) The valid nominations by the Shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- d) As on Tuesday, 9th June 2015, being the last date for receipt of nominations, he / she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as “the Regulations”) and thereafter has been found “Fit and Proper” by the Nomination Committee of the Board in terms of the Notification No.DBOD No.BCNO.46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 of Reserve Bank of Baroda read with guidelines dated

सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों अथवा निदेशक के चुनाव के संबंध में समय-समय पर जारी ऐसे अन्य निर्देशों के साथ पठित, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर, 2007, के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उपयुक्त एवं समुचित पाया गया हो.

नामांकन पत्र और घोषणा पत्र विनियमों के द्वारा निर्धारित हैं और नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में दिए गए हैं. (संपूर्ण नोटिस, जिसमें यह प्रोफार्मा भी शामिल है, बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर भी उपलब्ध है.

झ. नामांकन फार्म की प्रस्तुति :

शेयरधारकों में से बैंक के निदेशकों के चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को (केंद्र सरकार को छोड़कर) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में विधिवत भरे हुए निम्नलिखित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, छठा तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, बड़ौदा-390005 को वार्षिक सामान्य बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 14 कार्य दिवस पूर्व अर्थात् मंगलवार, 9 जून, 2015 को सायं 5:00 बजे तक या इससे पूर्व प्रस्तुत कर देने चाहिए.

- विधिवत रूप से भरा गया घोषणा पत्र
- निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम 100 शेयरधारकों से वैध नामांकन फार्म.
- इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र तथा वचन पत्र, जिसके साथ संबंधित दस्तावेज, प्रमाणपत्र अर्थात् स्व हस्ताक्षरित बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र, अनुभव आदि संलग्न हो.
- उपर्युक्त नामांकन फार्म व अन्य दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और ऐसा न होने पर नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है.

ञ. नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का चुनाव

- नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित तारीख बुधवार, 10 जून, 2015 के बाद के प्रथम कार्य दिवस को बैंक द्वारा नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करने के पश्चात् उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा.
- नामांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 नवंबर, 2007 को जारी 'उपयुक्त व समुचित' दिशानिर्देशों के तहत कार्यालयीन बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा जांच के अधीन होगा. भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप उम्मीदवार की उपयुक्त व समुचित स्थिति का निर्धारण करते समय, नामांकन समिति सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में अशासकीय निदेशकों के नामांकन के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 25 मार्च, 2015 में जारी किए गए दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखेगी.
- नामांकन समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद, यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति हेतु केवल एक वैध नामांकन प्राप्त हो तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी उसी समय से निर्वाचित समझा जाएगा और उसका नाम तथा पता निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित होगा. ऐसी किसी स्थिति में अथवा किसी भी नामांकन के वैध नहीं पाये जाने पर वार्षिक सामान्य बैठक की मद सं. 3 आयोजित नहीं की जाएगी. नव निर्वाचित निदेशक उसके चुनाव की तारीख जिस दिन उसका चुनाव समझा गया है से अगले

25th March, 2015 by the Government for Non Official Directors of the Public Sector Banks or such other directives as may be issued from time to time from being elected as a Director.

The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation as per the proforma annexed to this notice (The proforma is also available on the Bank's website: www.bankofbaroda.co.in)

I. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the Shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this notice, in a sealed envelope to the General Manager (Operations & Services), Bank of Baroda, 6th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the AGM i.e., on or before closing hours of the Bank at 5.00 p.m., on Tuesday, 9th June 2015:

- Duly filled in Declaration Form;
- Valid Nomination Forms minimum of hundred Shareholders entitled to participate in the election;
- Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.,
- The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

J. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

- Nominations shall be scrutinized on Wednesday, 10th June 2015, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated November 01, 2007 issued by the Reserve Bank of India. While determination of the Fit & Proper Status of Candidates in terms of the aforesaid RBI guidelines, the Nomination Committee may also keep in mind for consideration, the guidelines issued by the Central Government as applicable for non official director in Public Sector Banks as issued by Government of India dated 25th March 2015.
- After the scrutiny by the Nomination Committee, if there is only one valid nomination for one vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. In such an event or in case no nomination is found valid, the agenda item 3 at the AGM will not be conducted. The newly elected director will assume office on the

दिन ही पदभार ग्रहण करेंगे। तथा 3 वर्ष की अवधि पूरी होने तक पद पर बने रहेंगे।

घ) यदि वैध नामांकन की संख्या एक से अधिक हो तो चुनाव होने की दशा में प्रत्याशियों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव में सर्वाधिक ई-वोटिंग तथा मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी निर्वाचित होंगे और उनके नाम बैठक में घोषित किए जाएंगे तथा समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा। चुना गया निदेशक दिनांक 25 जून, 2015 से पदभार ग्रहण करेगा एवं इस तरह पदभार ग्रहण की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा।

ट. उम्मीदवारी वापिस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापिस लेना चाहता है, तो वह शुक्रवार दिनांक 19 जून, 2015 को बैंक के कामकाज के घंटों की समाप्ति से पहले, अर्थात् शाम 5.00 बजे से पूर्व किसी भी समय, महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं) बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 6ठा तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, वडोदरा- 390 005 को संबोधित पत्र भेज कर या 0265 - 2362914/ 0265- 2362225 पर फ़ैक्स भेजकर अथवा gm.ops.ho@bankofbaroda.com पर स्कैन तथा हस्ताक्षरित पत्र की ई-मेल भेजकर अपना नामांकन वापिस ले सकता है।

ठ. विवाद

यदि कोई विवाद उत्पन्न होगा, तो बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998, यथा संशोधित के विनियम 67 के अनुसार उसे निपटाया जाएगा।


ड उद्घरण

लागू अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संबद्ध हिस्सों के उद्घरण शेयरधारकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर डाल दिया गया है। जो शेयरधारक चुनाव लड़ना चाहते हैं वे इसे डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इसकी प्रति मंगवाने के लिए बैंक के कंपनी सचिव "companysecretary.bcc@bankofbaroda.com" को लिख सकते हैं और इसे इमेल से प्राप्त कर सकते हैं।

निदेशकों का हित

बैंक के निदेशक अपनी शेयरधारिता की सीमा तक तथा ऐसे निदेशक जिन्होंने नामांकन दर्ज किए हैं, कारोबार की उक्त मर्दों से उन्हें सरोकार है या उसमें उनका हित है ऐसा समझा जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृत बैंक ऑफ़ बड़ौदा


(रंजन धवन)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: मुंबई

दिनांक: 11 मई, 2015

next day of his/her deemed date of election and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.

d) If there are more than one valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidate polling the majority of the votes i.e. aggregate of e-voting and Poll at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and also published in newspapers. The elected Director shall assume office w.e.f. 25th June, 2015 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.

K. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. on or before 5.00 p.m. on Friday, 19th June 2015 by sending a letter addressed to General Manager (Operations & Services), Bank of Baroda, 6th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara - 390 005 or sending fax at 0265- 2362914/0265- 2362225 or scanned and signed letter over e-mail at "gm.ops.ho@bankofbaroda.com".

L. DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended.

M. EXTRACTS

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ GOI Guidelines are posted on Bank's website: www.bankofbaroda.co.in, for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting elections may download the same or write to the Company Secretary of the Bank at "companysecretary.bcc@bankofbaroda.com" and obtain the same over e-mail.

N. INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By Order of the Board of Directors
For BANK OF BARODA



Ranjan Dhawan
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date: 11th May 2015

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय – मांडवी, बड़ौदा 390 006

क्रम सं.

नामांकन फार्म

प्रति,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी/कार्यपालक निदेशक
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
प्रधान कार्यालय,
वडोदरा.
महोदय/महोदया

निदेशक का चुनाव

आपके दिनांक 11 मई, 2015 के नोटिस के संदर्भ में, मैं श्री/सुश्री
 बैंक ऑफ़ बड़ौदा का शेयरधारक, शुक्रवार 15 मई, 2015 (अर्थात निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट तारीख को) प्रत्येक रु. 2/- के इक्विटी
 शेयरों का धारक, एतद् द्वारा श्री/सुश्री सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी.....
 निवासी को बुधवार, दिनांक 24 जून, 2015 को होनेवाली बैंक के
 शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) में किए गए प्रावधान के अनुसार बैंक के
 शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु नामित करता हूँ/करती हूँ.

नाम	
हस्ताक्षर	
धारित शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अभौतिक रूप में न हो)	
डी.पी. आई.डी. नं. एवं ग्राहक आई.डी. नं. (यदि अभौतिक रूप में हो.)	
स्थान	
तारीख	

टिप्पणी :

- यदि नामांकन किसी कार्पोरेट निकाय शेयरधारक द्वारा किया गया हो, तो नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए और उस पर, जिस बैठक में इसे पारित किया गया हो, उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए.
- प्रत्याशी का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए.
- यदि उपर्युक्त में से कोई कॉलम रिक्त छोड़ा गया या विवरण असत्य पाया गया तो नामांकन रद्द किया जा सकता है.

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

Sr. No.

NOMINATION FORM

To
Managing Director & CEO/Executive Director,
Bank of Baroda
Head Office,
Vadodara.

Dear Sir/Madam,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your Notice dated 11th May 2015, I,
a Shareholder of Bank of Baroda holding equity shares of Rs. 2/- each fully paid up as on Friday, 15th May 2015 i.e., the Specified Date for participating in the Election, do hereby nominate Shri / Smt.
..... son / daughter / wife ofresiding at
..... for being elected as a Director of Bank of Baroda representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Wednesday, 24th June 2015.

Name	
Signature	
No. of Shares Held	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

- In case nomination is made by a Shareholder who is a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed at the meeting of the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- Signature of the Shareholder nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय – मांडवी, बड़ौदा 390 006

घोषणा पत्र

मैं, श्री/श्रीमती सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/ श्री/ श्रीमती
, निवासी
एतद्वारा पुष्टि करता /करती हूँ कि :-

- क. मैं शुक्रवार 15 मई, 2015 अर्थात् निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट तारीख को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के 2/- रुपये प्रति शेयर वाले इक्विटी शेयरों का शेयरधारक हूँ और घोषणा करता हूँ कि यदि बैंक के निदेशक के रूप में चुन लिया जाता हूँ, तो उसकी अवधि की समाप्ति तक शेयरधारिता रहेगी.
- ख. मुझे* (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग अथवा का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है जो भारतीय रि. सर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा और मैं अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं अथवा किसानों, कामगारों और दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ/करती हूँ और उसके साक्ष्य के रूप में, मैं इसके साथ संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ/करती हूँ और (जो लागू न हो उसे काट दे)
- ग. मैं नामांकन क्रमांकस्वीकार करता हूँ/करती हूँ और
- घ. मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक के निर्वाचन में प्रत्याशी बनना चाहता/चाहती हूँ.
- ङ. मैं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैटक) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अधीन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित अधिसूचना तथा भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अशासकीय निदेशकों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के तहत बैंक के निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूँ.
- च. मैं न कोई लाभ का पद धारण करता हूँ/ करती हूँ अथवा न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ.
- ज. मुझे कभी भी दिवालिया करार नहीं किया गया है और मैंने कभी भी अपने लेनदारों का भुगतान नहीं रोका या प्रशमन नहीं किया है अथवा
- झ. मुझे कभी भी विक्षिप्त नहीं पाया गया है और न ही कभी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है और न ही कभी चरित्रहीनता के किसी जुर्म में किसी अपराधिक न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया है.
- ञ. मैं किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी बीमा कंपनी में किसी भी श्रेणी के तहत निदेशक नहीं हूँ तथा
- ट. मैं किसी किराया खरीद, वित्तीय निवेश, लिजिंग तथा अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और मैं कोई सांसद/ विधायक/ एमएलसी/ स्टॉक ब्रोकर भी नहीं हूँ.
- ठ. मैं पहले भी किसी बैंक या वित्तीय संस्था या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक मंडल में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत लगातार या अलग अलग समय पर दो कार्यकाल या - 6 - वर्षों के लिए जो भी अधिक है, निदेशक नहीं रहा हूँ.

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

DECLARATION

I, son/daughter/wife of Shri/Smt.....
..... resident of.....
.....hereby confirm that :

- a. I am a Shareholder holding equity shares of Rs.2/- each of the Bank as on FRIDAY, 15th May 2015, i.e., the Specified Date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;
- b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law,(vii) small scale industry, or (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and **(*Delete whichever is not applicable.)**
- c. I accept the nominations numberingand
- d. I am willing to contest for the election of Director of BANK OF BARODA and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Bank of Baroda General (Shares & Meetings) Regulations, 1998 as amended, relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks and
- f. I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.
- g. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or has suspended payment or has compounded with my creditors.
- h. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and has not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude..
- i. I am not a Director in any other Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company under any category; and
- j. I am not connected with any hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities and I am not a MP / MLA / MLC / Stock broker
- k. I have not been a Director on the Board of any Bank, or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past, under any category for two terms or six years, whichever is longer and whether continuously or intermittently.

- ड. मुझे किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट, या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है तथा
- ढ. मैं बैंक को उपरोक्त सूचनाओं से संबद्ध ऐसी सभी घटनाओं, जो मेरी नियुक्ति के पश्चात होती हैं, की जानकारी यथासंभव शीघ्र ही उपलब्ध करवाने एवं बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के पश्चात प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करने का वचन देता हूँ.
- त. मैं सूचीयन करार के खंड 49 (II) (बी) के अनुसार निदेशक बनने से कभी भी अयोग्य करार नहीं दिया गया हूँ और यह भी घोषणा करता हूँ कि बैंक के निदेशक पद पर बने रहने तक इसके प्रावधानों का पालन करूंगा.
- थ. मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा हूँ जो कि मेरी अधिकतम जानकारी में और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं.

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अभौतिक न हो)	
डी.पी. आई.डी. नं. एवं ग्राहक आई.डी. नं. (यदि अभौतिक हो)	
स्थान	
तारीख	

उपर्युक्त घोषणा पत्र पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया है.

हस्ताक्षर

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्वोरेंसस के उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित/अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या बैंक ऑफ़ बड़ौदा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर.

* जो लागू हो उसे काट दें.

- l. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court, and
- m. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.
- n. I am not disqualified for being appointed as a Director pursuant to Clause 49 (II) (B) of the Listing Agreement and undertake to comply the provisions of the same till I hold the position as a Director of the Bank.
- o. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects,

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Bank of Baroda or any Nationalized Bank.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय – मांडवी, बड़ौदा 390 006

व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचनपत्र

पासपोर्ट साइज फोटो
चिपकाएं

बैंक का नाम : बैंक ऑफ़ बड़ौदा

दिनांक _____ 2015 को अपेक्षित अनुलग्नकों के साथ प्रत्याशी की घोषणा एवं वचनपत्र	
I	प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण
क	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) पिता का पूरा नाम
ख	जन्म तारीख
ग	शैक्षणिक योग्यताएं
	(शैक्षणिक/अकादमिक) (कृपया सूचना की पुष्टि में प्रमाणपत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें).
	(शैक्षणिक/व्यावसायिक) (कृपया सूचना की पुष्टि में प्रमाणपत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें).
घ	संबंधित पृष्ठभूमि एवं अनुभव(बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3-ए) में यथोपेक्षित) (कृपया बैंक के निदेशक पद से संबद्ध अपने अनुभव का उल्लेख करें)
ड.	स्थायी पता

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

Personal Information, Declaration and Undertaking

Affix passport
size photo here

Name of the Bank : Bank of Baroda

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____2015

I	Personal details of Candidate	
A	Full Name (in block capital letters) Father's Name (in Full)	
B	Date of Birth	
C	Educational Qualifications	
	(Educational/ academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
	(Educational/ professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
D	Relevant Background and Experience (As required under Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertakings) Act, 1970. (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank).	
E	Permanent Address	

च	वर्तमान पता	
छ	ई-मेल पता टेलीफोन नं. (लैंडलाइन) टेलीफोन नं. (मोबाइल)	
ज	आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (एक प्रति संलग्न करें) आयकर सर्कल/प्रखंड का नाम और पता, जहां निजी कर विवरण दायर किये जाते हैं.	
झ	संबद्ध ज्ञान तथा अनुभव, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3-ए) का संदर्भ ग्रहण करें.	
अ	बैंक के निदेशक मंडल से संबंधित कोई अन्य सूचना	
II	प्रत्याशी की रिश्तेदारी	
क	बैंक से जुड़े संबंधियों की सूची, यदि कोई हो (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(77), जिसे कंपनी (परिभाषा विवरण की विशिष्टता अधिनियम 2014) (धारा 6 एवं कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 1ए) नियम 2014 के नियम 4 के साथ पढा जाए, को देखें)	
ख	प्रतिष्ठानों की सूची, यदि कोई हो, जिनमें 'उसका हित निहित रहा हो (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(49) एवं धारा (184) को देखें) (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299) (3) (ए) और धारा (300)	
ग	प्रतिष्ठानों की सूची, जिनमें उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) के तहत पर्याप्त हित रखने वाले के रूप में माना गया हो. प्रस्तावित और वर्तमान.	

F	Present Address	
G	E-mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	
H	Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy) Name and Address of the Income Tax Circle/ Division where personal tax returns are being filed.	
I	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970	
J	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II	Relevant Relationships of Candidate	
A	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 [Section 6 and Sch 1A of Companies Act 1956]	
B	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 2 (49) and Section 184 of the Companies Act, 2013) [Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956]	
C	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	

घ	बैंक का नाम, जिसमें वे बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य हैं अथवा रहे हैं (पदावधि का विवरण दें)	
ड.	निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाएं, यदि कोई हो, जिनका उसने और/अथवा उपरोक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध इकाइयों ने वर्तमान में बैंक से उपयोग किया हो.	
च	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां प्रत्याशी अथवा उपरोक्त II(ख) और (ग) में उल्लिखित इकाइयों ने बैंक अथवा किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधाओं को चुकाने में चूक की हो अथवा पूर्व में चूक की गई हो.	
III	व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड	
क	संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां	
	प्रत्याशी के विरुद्ध कार्रवाइयां, यदि कोई हो	
क	यदि प्रत्याशी किसी व्यावसायिक संस्था /निकाय का सदस्य है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण यदि कोई विचाराधीन हो अथवा शुरू की गई हो अथवा उसके विरुद्ध पहले दोषसिद्धि के फलस्वरूप हो अथवा क्या वह किसी समय किसी व्यवसाय/धंधे को शुरू करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है.	
ख	पूर्व में प्रत्याशी और /अथवा उपरोक्त II(ख) और (ग) में सूचीबद्ध किसी इकाई के विरुद्ध आर्थिक कानून और विनियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषसिद्धि के फलस्वरूप लंबित अथवा शुरू किए गए अभियोजनों का विवरण, यदि कोई हो.	
ग	प्रत्याशी के विरुद्ध पूर्व में लंबित अथवा शुरू किए गए अथवा दोषसिद्धि के फलस्वरूप आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
घ	क्या प्रत्याशी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274.के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अयोग्यताओं के कारण अयोग्य ठहराया गया है	
ड.	क्या प्रत्याशी अथवा II (ख) और (ग) में उल्लिखित किसी इकाई को सरकारी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा किसी अंवेक्षण के अध्यक्षीन रखा गया है ?	
च	क्या प्रत्याशी को कभी कस्टम/एक्साइज/आयकर/विदेशी विनियम/राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है ? यदि ऐसा है तो विवरण दें.	
छ	क्या प्रत्याशी कभी सेबी, आईआरडीए, डीसीए, भारतीय रिजर्व बैंक, एमसीए जैसे विनियामकों के समक्ष प्रतिकूल नोटिस में आया है ? (हालांकि प्रत्याशी द्वारा विनियामकों के ऐसे आदेशों तथा निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना संभव नहीं होगा जो बाद में समग्र निरस्त / प्रत्यावर्तित कर दिए गए, तथापि ऐसे मामलों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा जो न्यायाधिकारिता की सीमितता अथवा अभाव जैसे तकनीकी कारणों और मेरिट पर न होने के कारण प्रतिवर्तित/निरस्त किये गए हों. यदि विनियामक का आदेश अस्थायी रूप से रोक दिया गया हो और अपील/न्यायिक प्रक्रिया लंबित हो तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए)	

	D	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
	E	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (B) and (C) above from the Bank	
	F	Cases, if any, where the Candidate or entities listed in II (B) and (C) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	
III		Records of professional achievements	
	A	Professional achievements relevant	
IV		Proceedings, if any, against the Candidate	
	A	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
	B	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/or against any of the entities listed in II (B) and (C) above for violation of economic laws and regulations	
	C	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate	
	D	Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act 2013 [Section 274 of the Companies Act, 1956]	
	E	Has the Candidate or any of the entities at II (B) and (C) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	F	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/ foreign exchange /other revenue authorities, if so give particulars	
	g	Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA CIBIL etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of regulator is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	

V	मद क्र. I और iii के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण/सूचना और ठीक और उचित पाए जाने के लिए विचारणीय अन्य कोई सूचना.	
---	---	--

वचनपत्र

मैं श्री/श्रीमती -----सुपुत्र / सुपुत्री/पत्नी----- पुष्टि करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास में सही और पूर्ण है. मैं बैंक को उपरोक्त सूचनाओं से संबद्ध ऐसी सभी घटनाओं, जो कि मेरी नियुक्ति के पश्चात होती हैं, की जानकारी यथासंभव शीघ्र ही उपलब्ध करवाने का वचन देता हूँ.

मैं बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले वचन विलेख को निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूँ.

स्थान:

दिनांक:

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक:

नोट : 1 जहां पर्याप्त जगह न हो, वहां क्रमानुसार अनुलग्नक में समुचित संदर्भ के साथ सूचना संलग्न करे.

2 सभी पृष्ठों (अनुलग्नकों सहित) पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर होने चाहिए.

नामांकन समिति की राय/टिप्पणी

समिति सदस्य के हस्ताक्षर	समिति सदस्य के हस्ताक्षर	समिति सदस्य के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

V		Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	
Undertaking			
<p>I _____ Son/ Daughter / Wife of Shri _____ confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.</p> <p>I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the Bank.</p>			
<p>Place : _____ Date : _____ Signature of Candidate</p>			
<p>Enclosures: Note: Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.</p>			
<p>Observations / Remarks of the Nomination Committee:</p>			
Signature of Committee Member			Signature of Committee Member
<p>Place : _____ Date : _____</p>			

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय – मांडवी, बड़ौदा 390 006

फॉर्म बी प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फोलियो नंबर		डीपी आईडी नं.	
		ग्राहक आई. डी नं.	
(यदि अभौतिक रूप से न हो)		(यदि शेयर अभौतिक रूप में हो)	
शेयरों की संख्या			

मैं/हम.....निवासी.....जिला.....
राज्य.....बैंक ऑफ़ बड़ौदा का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती.....
निवासी.....जिला.....राज्य.....को या उनके न होने पर
श्री/श्रीमती.....निवासी.....
जिला.....राज्य.....को **बुधवार, 24 जून, 2015 को प्रातः 10.30 बजे** सर सयाजीराव
नगरगृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी.-1, एफ.पी.549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वड़ोदरा - 390 020 में या इसकी किसी स्थगित तारीख को बैंक
ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की होने वाली वार्षिक सामान्य बैठक में मेरी /हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

दिनांकमाह2015 को हस्ताक्षरित

रसीदी
टिकट यहां
चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम

पता

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं जमा करने संबंधी अनुदेश

- प्रॉक्सी का लिखत निम्नानुसार होने पर वैध माना जाएगा -
 - एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा
 - संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा
 - बाडी कार्पोरेट के मामले में इसके अधिकारी द्वारा कॉमन सील के साथ हस्ताक्षर और निष्पादित यदि कोई हो, अथवा विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित हो।

प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा उपयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है तब यह तभी वैध माना जायेगा जब इसे किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो।
- विधिवत स्टांपित होने एवं मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत हस्ताक्षर किए गये हैं अथवा उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तथा पूर्व में बैंक पास जमा की गयी हो

- अथवा इसके शेयर ट्रांसफर एजेन्ट के पास जमा की गई हो। प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबन्धक (केवायसी एवं एएमएल विभाग), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, आठवां तल, सूरज प्लाजा - I, सयाजीगंज, वड़ोदरा-390 005 के पास वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् 19 जून 2015 को कार्य समाप्ति के पूर्व सायं 5.00 बजे से पहले जमा किए जाने पर ही प्रॉक्सी को वैध माना जाएगा।
- यदि संबद्ध मुख्तारनामा पहले से पंजीकृत हो तब मुख्तारनामा की पंजीकरण जमा और इस प्रकार के पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- प्रॉक्सी का लिखत फार्म "बी" में होने पर ही वैध माना जाएगा।
- बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी - लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगा।
- विकल्प के तौर पर दो गारंटियों के पक्ष में दिए गए प्रॉक्सी-लिखत के मामले में, एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- प्रॉक्सी-लिखत निष्पादित करने वाला शेयरधारक वार्षिक सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप में मतदान का हकदार नहीं होगा।
- किसी भी व्यक्ति को, जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, ऐसा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- प्रॉक्सी फार्म में किए गए सभी परिवर्तन विधिवत रूप से अधिप्रमाणित किए जाने चाहिए।

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
No. of Shares			

I / We _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder / Shareholders of the Bank of Baroda, hereby appoint Shri/Smt _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him / her, Shri / Smt _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my / our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **Annual General Meeting** of the Shareholders of the Bank of Baroda to be held on **Wednesday, 24th June 2015 at 10.30 a.m.** at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020, and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2015.

Signature of the Proxy _____

Name : _____

Address : _____

Please affix
Revenue
Stamp

Signature of first named / sole shareholder

Instructions for signing and lodging the Proxy Form

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing, or
 - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/ her attorney, duly authorized in writing, or
 - c) in the case of a body corporate signed by its officer and executed under its common seal, if any or otherwise signed by its attorney duly authorized in writing.

Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/ her name, if his/her mark/thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Baroda.
2. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 8th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara- 390 005, not less than FOUR DAYS before the date fixed for the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 19th June 2015 together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank/ its Share Transfer Agent.
3. In case the relevant Power of Attorney is already registered, the registration number of the Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
4. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B"
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one Form shall be executed.
7. The granter of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
9. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

India's International Bank